आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 2018(1) पेज 492–506

चंडीगढ़ की सुरक्षित सोसायटी द्वारा अध्यक्ष बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल)

न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल के समक्ष

चंडीगढ़ की सुरक्षित सोसायटी द्वारा अध्यक्ष हरमन सिंह सिद्धू, निवासी H.NO.268, सेक्टर 21–ए, चंडीगढ़ – याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. No.1343/2017

06 मार्च, 2018

भारत का संविधान, 1950– अनुछेद 47 और 51–ए– पंजाब राज्य 1956 के नियम 38 की विशेष शर्तों (2) का भाग (डी) – आबकारी नीति निर्णय–पंजाब और हरियाणा राज्य– सभी शराब की दुकानों पर चालान जारी करना – अदालतें व्यापक जनहित में हस्तक्षेप कर सकती हैं और निर्देश जारी कर सकती हैं –राज्य के सभी शराब विक्रेताओं के लिए वर्ष 2018–2019 से उनके द्वारा की गई सभी बिक्री के लिए चालान जारी करना अनिवार्य है।

अभिनिर्धारित किया गया कि बिक्री की राशि की परवाह किए बिना, शराब की बिक्री के सभी लेन–देन के लिए चालान जारी करने के लाभों की जांच करते हुए, यह देखा जा सकता है कि इस तरह के प्रावधान को शामिल करने से कई लाभ होंगे। सबसे पहले, यह शराब विक्रेता को खातों के रखरखाव और नकद/क्रेडिट लेनदेन की जांच करने में मदद करेगा। चूंकि अधिकांश शराब बिलिंग/चालान के बिना बेची जाती है, इसलिए राज्य के खजाने में राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा से महरूम है। इससे आयकर विभाग को उचित कर के आकलन और संग्रह में मदद मिलेगी। दूसरा, वेंड कोड और उपभोक्ता से ली जाने वाली वास्तविक कीमत के साथ एक कम्प्यूटरीकृत चालान उपभोक्ता के लिए एक सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा, जिसे तब पूरे राज्य में एक ही ब्रांड की गुणवत्ता और एक समान मूल्य निर्धारण का आश्वासन दिया जाएगा। एक असंतुष्ट उपभोक्ता एक जिम्मेदार शराब विक्रेता के खिलाफ उचित मंच पर अपनी शिकायत का निवारण करने में समर्थ होगा। इसके अलावा, चालान/कम्प्यूटरीकृत बिल जारी होने के साथ, दुकानों पर बेचे जाने वाली नकली शराब का खतरा रुक जायेगा। नकली शराब पीने से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इस मामले पर राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा जो राज्य को शराब जैसे मादक पेय के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान है कि अपने लोगों के पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है।

(पैरा 13)

इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शराब के व्यापार से राजस्व उत्पन्न होता है, लेकिन साथ ही, राष्ट्र का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।धन का सृजन अन्य तरीकों से किया जा सकता है लेकिन राष्ट्र के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं।आवश्यक रूप से, इस बुराई को कम करने और दबाने के लिए, राज्य अपनी बिक्री को विनियमित करने के लिए कुछ शर्तें लगा सकता है।

(पैरा 15)

आगे कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब राज्य द्वारा बनाई गई कोई भी नीति जनहित के विपरीत है या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह व्यापक सार्वजनिक हित में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे और राज्य के स्टॉक याचिका को अस्वीकार करे कि न्यायिक समीक्षा का दायरा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों से अधिक नहीं होना चाहिए।अदालतें किसी भी विशिष्ट भाग को शामिल करके ऐसी नीति को संशोधित करने में हस्तक्षेप कर सकती हैं जिसे अनिवार्य बनाया जा सकता है।

(पैरा 17)

आगे कहा कि न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि उसे राज्य की राजकोषीय नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालाँकि, जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है कि राज्य या उसकी एजेंसी/साधन और/या इसके कार्यान्वयन द्वारा बनाई गई नीति लोक हित के विपरीत है या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करतीहै, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह व्यापक लोक हित में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे और राज्य के स्टॉक याचिका को अस्वीकार करे कि न्यायिक समीक्षा का दायरा मान्यता प्राप्त मापदंडों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(पैरा 18)

रवि कमल गुप्ता, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

लोकेश सिंहल, ए. ए. जी., हरियाणा।

शिरीष गुप्ता, सीनियर डीएजी, पंजाब।

न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल ।

(1) याचिकाकर्ता–अराइव सेफ सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ ने अपने अध्यक्ष माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका द्वारा से प्रतिवादी को अगले वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए शराब की दुकानों की नीलामी से पहले हरियाणा और पंजाब राज्यों में सभी शराब की दुकानों पर कम्प्यूटरीकृत बिल जारी करने के संबंध में वर्ष की आगामी आबकारी नीति में एक प्रावधान करने का निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है।

(2) याचिका में वर्णित विवाद के निर्णय हेतु प्रासंगिक कुछ तथ्यों जैसा कि याचिका में बताया गया है पर ध्यान दिया जा सकता है। अराइव सेफ सोसाइटी एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो सभी प्रकार के सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच ज्ञान, जागरूकता और कौशल बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को विकसित करने पर काम कर रहा है।युवाओं को शराब के दुरुपयोग के बारे में शिक्षित करने के अलावा, यह नशे में गाड़ी चलाने के संबंध में कानून प्रवर्तन में सुधार के लिए यातायात पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करता है।याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी निजी हित के किए गए निरंतर प्रयासों के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने शराब की मुफ्त उपलब्धता के खतरे पर अंकुश लगाने और शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए आदेश के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से शराब की दुकानों को हटाने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, राज्यों को राजमार्गों से शराब की बिक्री के संबंध में किसी भी रूप में सभी विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया गया है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शराब की दुकानें न तो दिखाई दें और न ही राजमार्गों से सुलभ हों।वर्ष 2015 में, याचिकाकर्ता सोसायटी ने हरियाणा और पंजाब राज्यों की उत्पाद शुल्क नीतियों को सी. डब्ल्यू. पी. Nos.5249 और 5827 / 2015 के माध्यम से चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर कीं, जिनका अलग–अलग आदेशों के माध्यम से निपटारा किया गया था। उन याचिकाओं में चुनौती देने का एक आधार सभी शराब की दुकानों पर कम्प्यूटरीकृत बिल जारी करना था। हरियाणा राज्य के लिए उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित याचिका का निपटान दिनांक 1.4.2015 पर किया गया था, लेकिन चूंकि निर्णय में बिल जारी करने के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी जिसे दिनांक 11.5.2015 पर भी निपटाया गया था। पंजाब राज्य के संबंध में, याचिका का 5.4.2016 पर अप्रासंगिक के रूप में निपटारा किया गया था। दिनांक 28/2/2017 को वर्तमान रिट याचिका अर्थात सी. डब्ल्यू. पी. No.1343/2017 में, हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हरियाणा के आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा एक पत्र दिनांक 27/2/2017 महाधिवक्ता हरियाणा के कार्यालय में प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि Rs. 1000/– एक से अधिक शराब की प्रत्येक खरीद के लिए विक्रेता द्वारा रसीद जारी करने की शर्त अनिवार्य रूप से प्रस्तावित की जा रही थी और उस मात्रा से कम खरीद के लिए, ग्राहक

जहां चाहे वहां रसीद जारी की जाएगी। यदि कोई शिकायत सही पाई जाती है, तो ऐसे प्रत्येक चूक के लिए विक्रेता पर Rs.500– का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार पीठ द्वारा देखा गया कि हरियाणा की मंत्रिपरिषद अगले वर्ष के लिए नीति को अंतिम रूप देने से पहले इन सभी कारकों पर विचार करेगी। दिनांक 22/3/2017 को पीठ ने अवलोकन किया कि यह याचिका स्पष्ट रूप से एक जनहित याचिका है और संशोधित नीति के कारण व्यक्तिगत ग्राहक का अधिकार प्रभावित नहीं हो सकता है, जो विक्रेता के लिए Rs. 1000/– से कम की बिक्री के लिए भी रसीद जारी करना अनिवार्य बनाता है – यदि उपभोक्ता रसीद की मांग करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रावधान होने के बावजूदपंजाब के लिए पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 के साथ–साथ वर्ष 2017–18 के लिए हरियाणा राज्य की उत्पाद शुल्क नीति में बिल जारी करने के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकारें वर्ष 2017–18 में इस न्यायालय को दिए गए आश्वासन को अवधि देने में विफल रही हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन का जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल याचिका डाली गई |

(3) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से दायर जवाबदावा में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि हरियाणा राज्य की वर्ष 2017–18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति के भाग 1.7 के अनुसार, सभी खुदरा लाइसेंसधारियों के लिए एक चालान जारी करना अनिवार्य है जहां शराब का कुल बिक्री मूल्य Rs.1000 से अधिक है–और यदि कीमत Rs.1000 से कम है–तो ग्राहक द्वारा ऐसा मांगे जाने पर लाइसेंसधारी एक चालान जारी करेगा।इस प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, संबंधित उप उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (उत्पाद शुल्क) द्वारा जांच के बाद लाइसेंसधारी पर Rs.500–प्रति घटना का जुर्माना लगाया जाएगा। उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, कोई भी ग्राहक हमेशा एक चालान की मांग कर सकता है यदि वह चाहता है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान रिट याचिका को आगे बढ़ाने के लिए वाद हेतु नहीं बचा है।यह भी कहा गया है कि राज्य की नीति को लक्षित करने वाली रिट याचिका तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि नीति को मनमाना या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ नहीं माना है। वर्ष 2017–18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति भारत के संविधान की अनुसूची VII में राज्य सूची की प्रविष्टि 51 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है और इसे हरियाणा के मंत्रिपरिषद द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। ई–निविदा प्रक्रिया इस अनुमोदित उत्पाद शुल्क नीति के अनुसार अमल में आई है।इस मामले पर हरियाणा के मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया, जिसमें यह देखा गया कि रसीद जारी करना वास्तव में विक्रेता द्वारा कर/शुल्क की चोरी की संभावना से जुड़ा नहीं है क्योंकि राजस्व नीलामी/ई–निविदा द्वारा से वसूल किया जाता है और उसी का भुगतान विक्रेता द्वारा शुरुआत में एक निश्चित सीमा तक किया जाता है, जिसके बाद सम्पूर्ण लाइसेंस शुल्क का भुगतान 10 किश्तों में किया जाता है।इस प्रकार, यह कोई धारणा नहीं होनी चाहिए कि रसीद जारी न करने से विक्रेता को किसी भी कर, शुल्क आदि से बचने में मदद मिलती है। याचिकाकर्ता द्वारा दी गई प्रासंगिकता कि एक बिल जारी करने से शराब की गुणवत्ता की जांच होगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है क्योंकि होलोग्राम के साथ चिपकाई गई सीलबंद शराब की बोतलों को विभाग द्वारा जारी परमिट के तहत ले जाया जाता है और इसलिए मिलावट और खुदरा दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री की संभावना न के बराबर है।इसके अलावा, बिक्री के बिल और बेची गई शराब की बोतल के बीच एक संबंध केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बिल पर बैच नंबर और ब्रांड आदि जैसे पूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाए जो कि अशिक्षित/अर्ध साक्षर विक्रेताओं के लिए भीड़ के समय के दौरान बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि अधिकांश शराब की बिक्री आम तौर पर शाम को कुछ घंटों में होती है और प्रत्येक ग्राहक को रसीद जारी करने में लंबा समय लगेगा और शराब की दुकानों के सामने बहुत लंबी कतार लग जाएगी जिससे बड़े पैमाने पर जनता को परेशानी हो सकती है।यह आगे कहा गया है कि अधिकारियों में अब यह भावना है कि Rs.1000 से ऊपर शराब की प्रत्येक बिक्री के लिए रसीद जारी करने का प्रस्ताव–अनिवार्य रूप से और रसीद जारी करने का प्रस्ताव जहां भी ग्राहक Rs.1000 तक शराब की बिक्री के लिए चाहता है–एक अनूठा आदेश है और इस वर्ष इसके प्रभाव पर नजर रखने की आवश्यकता है।तदनुसार, अनुमोदित प्रावधान को वर्ष 2017–18 आबकारी नीति में शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य वर्ष 2017–18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति में इस अनूठे कदम के कार्यान्वयन पर विचार करने के बाद वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए नीति को अंतिम रूप देने के दौरान प्रत्येक खरीद के लिए चालान/रसीद जारी करने पर विचार करेगा।

(4) प्रतिवादी संख्या 3 और 4 की ओर से श्री गुरतेज सिंह, अतिरिक्त, आबकारी और कराधान आयुक्त, पंजाब के शपथ पत्र के माध्यम से भी जवाब दाखिल किया गया है, जिस में अन्य बातों के साथ कहा गया है कि वर्ष 2017–18 के लिए उत्पाद

शुल्क नीति भारत के संविधान की अनुसूची VII अन्य बातों के साथ साथ राज्य सूची की प्रविष्टि 51 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है और इसे मंत्रिपरिषद, पंजाब द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।इसके अलावा, पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 (संक्षेप में, "1956 नियम") के भाग (डी) के लिए विशेष शर्त (2) में नियम 38 में पहले ही प्रावधान का उल्लेख किया जा चुका है, जिसे प्रतिवादी विभाग द्वारा एक ग्राहक को एम–66 ए प्रपत्र में नकद ज्ञापन जारी करने के संबंध में दिनांक 26/3/2012 की अधिसूचना के माध्यम से जोड़ा गया है। वर्ष 2017–18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति का पैरा 34 खुदरा बिक्री दरों से संबंधित है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्तमान रिट याचिका खारिज की जा सकती है क्योंकि बिक्री बिल जारी करने का बिंदु और जुर्माना प्रावधान पहले से ही ऊपर उल्लिखित नियमों में प्रदान किए गए हैं।

(5) हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

(6) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:–

i) बार कोड की मदद से बिल जारी करने में विक्रेता को कोई कठिनाई नहीं होती है और यह उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करता है।

ii) कम्प्यूटरीकृत चालान जारी करने द्वारा आयकर विभाग को उचित कर के आकलन और संग्रह में मदद मिलेगी क्योंकि आमतौर पर वित्तीय वर्ष के अंत में साझेदारी फर्में भंग हो जाती हैं और भागीदारों का पता नहीं चलता है।

iii) एक कम्प्यूटरीकृत चालान विक्रेता को खातों के रखरखाव और नकद/क्रेडिट लेनदेन की जांच करने में मदद करेगा।

(iv) नकली शराब की समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी क्योंकि विक्रेता महंगी बोतलों में नकली शराब या कम गुणवत्ता समर्थ शराब नहीं बेच पाएगा।

v) Rs.1000 से अधिक के बिल जारी करने का कोई औचित्य नहीं है–लेकिन उससे कम राशि के लिए नहीं। एक कम्प्यूटरीकृत बिल कम से कम एक ही जिले में कीमत में एकरूपता सुनिश्चित करेगा, यदि पूरे राज्य में नहीं।

vi) हरियाणा राज्य द्वारा उस विक्रेता को दंडित करने के आश्वासन के बावजूद जो मांगे जाने पर बिल जारी नहीं करता है, यदि बिक्री Rs.1000 से कम है–या अन्यथा, आबकारी विभाग को विभिन्न शिकायतों के बावजूद किसी भी विक्रेता पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

vii) पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 नियम 38 कि विशेष शर्तो (२) में भाग डी बिक्री, पूर्ण बिक्री या खुदरा बिक्री के लेन–देन के संबंध में बिल जारी करने का प्रावधान किया गया है हालांकि, राज्य आज तक इसे लागू करने में समर्थ नहीं है।

viii) अगर दिल्ली में विक्रेता कम्प्यूटरीकृत रसीदें जारी कर सकते हैं तो हरियाणा और पंजाब राज्यों को आगे आकर स्मार्ट सिटी का खिताब क्यों नहीं जीतना चाहिए।

(7) अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में तमिलनाडु राज्य द्वारा सचिव और अन्य बनाम K.Balu और अन्य और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ के निर्णय पर भरोसा किया गया है|

(8) दूसरी ओर, हरियाणा राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:–

(i) जब तक नीतिगत निर्णय आत्यन्तिक रूप से मनमाफिक, अनुचित और मनमाना न हो और कार्यकारी प्राधिकरण के केवल अप्रत्यक्ष आदेश पर आधारित नहीं होता है या किसी भी संवैधानिक या वैधानिक जनादेश का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ दिया गया है जिसमें कहा गया है कि नीतिगत निर्णय राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालय को सार्वजनिक नीति के अज्ञात

महासागर पर नहीं उतरना चाहिए और प्रभावकारिता या अन्यथा पर तब तक सवाल नहीं उठाना चाहिए जब तक कि यह राज्य या भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

(ii) जहां तक वर्ष 2017–18 के लिए नीति का संबंध है, हरियाणा राज्य ने पहले ही खुदरा लाइसेंसधारियों के लिए एक चालान जारी करना अनिवार्य कर दिया है जहां शराब का कुल बिक्री मूल्य Rs.1000 से अधिक है–और यदि शराब का कुल बिक्री मूल्य Rs.1000 से कम है, तो ग्राहक द्वारा मांग किए जाने पर लाइसेंसधारी एक चालान जारी करेगा;

(iii) इस मामले पर मंत्रिपरिषद, हरियाणा द्वारा विचार किया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि रसीद का मुद्दा वास्तव में विक्रेता द्वारा कर/शुल्क की चोरी की संभावना से जुड़ा नहीं है क्योंकि नीलामी/ई–निविदा द्वारा से राजस्व की वसूली की जाती है और उसी का भुगतान विक्रेता द्वारा शुरुआत में एक निश्चित सीमा तक किया जाता है जिसके बाद सम्पूर्ण शुल्क का भुगतान 10 किस्तों में किया जाता हैं। हालांकि, उपरोक्त प्रस्ताव पर इस वर्ष इसके प्रभाव के लिए नजर रखने का प्रस्ताव है।

(iv) नकली/अवैध शराब की बिक्री के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि होलोग्राम के साथ चिपकाई गई सीलबंद विक्रेता शराब की बोतलों को विभाग द्वारा जारी परमिट के तहत ले जाया जाता है और इसलिए खुदरा दुकानों पर मिलावट और अवैध शराब की बिक्री की संभावना न के बराबर है।इसके अलावा, ऐसी शराब कभी भी शराब की दुकान पर नहीं बेची जाती है क्योंकि आबकारी अधिकारी किसी भी समय किसी भी शराब की दुकान का निरीक्षण कर सकते हैं।

(v) खुदरा के अन्य व्यवसायों के विपरीत, शराब व्यवसाय में सरकार न्यूनतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है न कि अधिकतम खुदरा मूल्य और इस प्रकार किसी भी ग्राहक को रसीद प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं होती है।

(vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरह शॉपिंग मॉल या पॉश बाजारों में खुदरा विक्रेताओं में चालान जारी करना पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है।हालांकि, इस तरह की शर्त सभी शराब की दुकानों पर नहीं लगाई जा सकती हरियाणा राज्य में अधिकांश दुकानें ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्र में हैं।

(9) अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में एम् पी आयल एक्सट्रैक्शन एंड अन्य बेनाम स्टेट ऑफ़ एम् पी और अन्य एंड दिल्ली बार एसोसिएशन (reg) बेनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के निर्णय को प्रस्तुत किया गया है |

(10) पंजाब राज्य के मामले में, श्री गुरतेज सिंह, अतिरिक्त आबकारी और कराधान आयुक्त, पंजाब द्वारा दायर शपथ पत्र दिनांक 3.11.2007 के अनुसार, 1956 के नियमों की विशेष शर्त (2) भाग (डी) में नियम 38 में प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, जिसे प्रतिवादी विभाग द्वारा एक ग्राहक को एम–66 ए प्रपत्र में नकद ज्ञापन जारी करने के संबंध में अधिसूचना दिनांक 26.3.2012 के माध्यम से जोड़ा गया है।वर्ष 2017–18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति का पैरा 34 खुदरा बिक्री दरों से संबंधित है। 1956 के नियमों के नियम 38 की विशेष शर्त (2) में भाग (डी) इस प्रकार हैः–

> " नियम 38 की विशेष शर्त (2) में भाग डी अनुज्ञप्तिधारी बिक्री, थोक या खुदरा बिक्री के लेन–देन के संबंध में, उसी की मांग करने वाले ग्राहक को फॉर्म–एम–66 ए में एक नकद ज्ञापन जारी करेगा।विक्रेता के नाम, उसकी अनुज्ञप्ति संख्या, बिक्री की तारीख, बिक्री की गई शराब का विवरण और मात्रा और बिक्री मूल्य के साथ अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता वाली क्रमबद्ध संख्या और ऐसे नकद ज्ञापन की एक कार्बन प्रति उस वित्तीय वर्ष के अंत तक सुरक्षित रखी जाएगी जिसमें नकद ज्ञापन जारी किया जाता है।"

(11) इस याचिका में विचार के लिए जो मुख्य मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या हरियाणा और पंजाब राज्यों में सभी शराब की दुकानों पर चालान जारी करने के प्रावधान को वर्ष 2018–2019 की आगामी आबकारी नीति में शामिल किया जाना चाहिए।

(12) मुख्य मुद्दे पर विचार करने से पहले, पक्षों की दलीलों सेसमझआने वाले अलग कुछ तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।नीति के भाग 1.6 में वर्ष 2015–16 के लिए उत्पाद शुल्क नीति में यह उल्लेख किया गया था कि आधुनिक दुकानें मशीन जनित चालान (पी. ओ. एस.) जारी करेंगी।2015 का सी. डब्ल्यू. पी. No.5249 इस न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें अन्य निर्देशों के साथ–साथ राज्य को सभी खुदरा विक्रेताओं के लिए बिल जारी करना अनिवार्य बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस रिट याचिका का निपटारा बिना कोई निर्देश के 1.4.2015 को कर दिया गया | एक समीक्षा आवेदन दायर किया गया था जिसे 11.5.2015 पर इस अवलोकन के साथ निपटाया गया था कि वर्ष 2015–16 के लिए उत्पाद शुल्क नीति पहले से ही तैयार और लागू की गई थी और इसलिए, राज्य को अगले वर्ष यानी 2016–2017 के लिए उत्पाद शुल्क नीति तैयार करते समय इस मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।.तदनुसार, उत्पाद शुल्क नीति 2016–17 तैयार करते समय इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया था, लेकिन अंततः, सभी खुदरा विक्रेताओं पर इस शर्त को लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त लाभ पर विचार नहीं किया गया, लेकिन इसे नीलामी पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव माना गया था।हालांकि, शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक के लाइसेंस शुल्क वाले एल–2 लाइसेंसधारियों को पी. ओ. एस. जारी करने की आवश्यकता थी और शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक के लाइसेंस शुल्क वाले एल–2 लाइसेंसधारियों को अपनी दुकान को आधुनिक दुकान में बदलने का विकल्प दिया गया था।वर्तमान याचिका 24.1.2017 पर प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए उसी निर्देश की मांग करते हुए दायर की गई है। इस अदालत ने राज्य के वकील को इस मुद्दे पर निर्णय के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।विभाग ने राज्य के वकील को सूचित किया कि मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है और बिक्री मूल्य Rs.1000 से अधिक होने की स्थिति में बिल जारी करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है–और यदि बिक्री मूल्य Rs.1000 से कम रहता है–तो इसे मांग पर जारी किया जाना था।यह भी बताया गया कि प्रस्ताव को अभी तक मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी मिलना बाकी है ।28.2.2017 पर, इस अदालत ने कहा कि हरियाणा की मंत्रिपरिषद को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या केवल Rs.1000–से ऊपर की खरीद के संबंध में रसीद जारी करना अनिवार्य होना चाहिए।यदि विक्रेता किसी भी स्थिति में Rs.1000 से कम की खरीदारी के लिए भी रसीद जारी करता है–यदि ग्राहक ऐसा चाहता है, तो विक्रेता के लिए रसीद जारी करने और किसी भी स्थिति में उसी की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।इस प्रकार, यह विक्रेता पर एक अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, भले ही Rs.1000–से कम मूल्य की बिक्री के संबंध में रसीदें जारी की जानी हों।तदनुसार, इस मामले पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किया गया।मंत्रिपरिषद द्वारा यह देखा गया है कि अधिकारियों में अब यह भावना है कि Rs.1000 से परे शराब की प्रत्येक बिक्री के लिए रसीद जारी आदेश का प्रस्ताव अनिवार्य है और जहां भी ग्राहक चाहे वहां रसीद जारी आदेश का प्रस्ताव है। 1000/– एक अनूठा ऑर्डर है और इस वर्ष इसके प्रभाव को देखने की आवश्यकता है।तदनुसार, अनुमोदित प्रावधान को वर्ष 2017–18 के लिए उत्पाद शुल्क नीति में शामिल किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि राज्य वर्ष 2018–2019 के लिए उत्पाद शुल्क नीति में इस अनूठे कदम के कार्यान्वयन पर विचार करने के बाद वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए नीति को अंतिम रूप देने के दौरान प्रत्येक खरीद के लिए चालान/रसीद जारी करने पर विचार करेगा |

13. बिक्री की राशि की परवाह किए बिना शराब की बिक्री के सभी लेनदेन के लिए चालान जारी करने से, यह देखा जा सकता है कि इस तरह के प्रावधान को शामिल करने से कई लाभ होते हैं।सबसे पहले, यह शराब विक्रेता को खातों के रखरखाव और नकद/क्रेडिट लेनदेन की जांच करने में मदद करेगा। चूंकि अधिकांश शराब बिलिंग/चालान के बिना बेची जाती है, इसलिए इसका राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्य के खजाने पर पड़ता है यधपि राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर ।इससे आयकर विभाग को उचित कर के आकलन और संग्रह में मदद मिलेगी। दूसरा, विक्रेता कोड और उपभोक्ता से ली जाने वाली वास्तविक कीमत, एक कम्प्यूटरीकृत चालान उपभोक्ता के लिए एक सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा, जिसे तब पूरे राज्य में एक ही ब्रांड की गुणवत्ता और एक समान मूल्य निर्धारण का आश्वासन दिया जाएगा। एक असंतुष्ट उपभोक्ता एक जिम्मेदार शराब विक्रेता के खिलाफ उचित मंच पर अपनी शिकायत का निवारण करने में समर्थ होगा। इसके अलावा, चालान/कम्प्यूटरीकृत बिल जारी होने के साथ, नकली शराब का खतरा जो दुकानों पर बेचा जा रहा है, बंद हो जाएगा। नकली शराब पीने से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। इस मामले पर राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा जो राज्य को

शराब जैसे मादक पेय के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में प्रावधान है कि पोषण के स्तर और अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है।वह इस प्रकार हैः–

> "47. पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य | राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा और विशेष रूप से, राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।"

(14) भारत के संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद 47 के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट है कि राज्य को मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना होगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, सिवाय इसके कि जहां भी उनका सेवन औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।शराब का सेवन निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।किसी भी नागरिक को खुदरा रूप से मादक शराब बेचने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है।यह किसी नागरिक का विशेषाधिकार भी नहीं है।यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें समुदाय के लिए खतरा है, इसलिए इसे ऐसी परिस्थितियों में चलाने की अनुमति दी जा सकती है जो इसकी बुराइयों को सीमित कर दे।

(15) इसमें कोई संदेह नहीं है कि शराब का व्यापार राजस्व उत्पन्न करता है, लेकिनसाथ ही, राष्ट्र का स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।कोष का सृजन अन्य तरीकों से किया जाए लेकिन राष्ट्र के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं।आवश्यक रूप से, इस बुराई को कम करने और दबाने के लिए, राज्य अपनी बिक्री को विनियमित करने के लिए कुछ शर्तें लगा सकता है।राज्य सरकार ने पहले ही प्रशंसनीय कदम उठाए हैं जिसके तहत हरियाणा राज्य ने प्रावधान किया है कि Rs.1000 से अधिक की बिक्री के लिए चालान जारी करना अनिवार्य होगा–जबकि इसे Rs.1000 से कम की बिक्री के लिए शराब विक्रेता द्वारा मांग करने पर चालान जारी करना जरुरी होगा और पंजाब राज्य के मामले में, 1956 के नियम 38 की विशेष शर्त (2) के भाग (डी) के संदर्भ में, विक्रेता मांग पर ग्राहक को बिक्री के लेनदेन के संबंध में चालान जारी करेगा।

(16) बिल जारी करने में विक्रेता को कोई कठिनाई नहीं होती है और यह उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करता है। दिल्ली में केवल बार कोड द्वारा से शराब की बिक्री के संबंध में इसी तरह का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।एन. सी. टी. दिल्ली सरकार द्वारा दिनांकित 16.1.2018 परिपत्र जारी किया गया है जिसमें कम्प्यूटरीकृत रसीदेऔर इसके लाभों की गणना की गई है। एक कम्प्यूटरीकृत बिल कम से कम एक ही जिले में कीमत में एकरूपता सुनिश्चित करेगा, यदि पूरे राज्य में नहीं।एक बार जब राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि Rs.1000 से ऊपर की खरीद के संबंध में चालान जारी करना अनिवार्य होगा–और यदि विक्रेता मांग करता है कि बिक्री Rs.1000 से कम है–तो विक्रेता के लिए रसीदें जारी करने और किसी भी स्थिति में उसी की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।ऐसी परिस्थितियों में, यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि यह विक्रेता पर अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा, भले हीरसीदे Rs 1000 से कम की बिक्री के सम्बन्ध मे जारी की जाये ।उदाहरण के लिए, जहां Rs.1000–के नीचे की सभी खुदरा खरीद में, विक्रेता उन्हें चालान जारी करने की मांग करते हैं, अनिवार्य रूप से, विक्रेता उन्हें रसीदें जारी करने के लिए बाध्य होगा।ऐसी स्थिति में, सभी लेन–देनों के लिए रसीदें जारी करने से उनके खातों के रखरखाव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में।दोनों राज्यों द्वारा ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है जिससे पता चले कि Rs.1000 से ऊपर की बिक्री के लिए और Rs.1000 से नीचे की मांग पर बिक्री के लिए बिल जारी करने से वर्ष 2017–18 के लिए शराब की दुकानों की नीलामी पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(17) अब हरियाणा राज्य की इस दलील पर विचार करते हुए कि यह एक नीतिगत निर्णय होने के नाते न्यायिक समीक्षा के दौरान में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि आबकारी नीति वास्तव में ऐसी नीति नहीं है जिसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।ऐसी नीति तैयार करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना होगा।यह सर्विदित है कि जब राज्य द्वारा

बनाई गई कोई भी नीति जनहित के विपरीत है या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह व्यापक लोक हित में अधिकार क्षेत्र और राज्य की स्टॉक याचिका को अस्वीकार करे कि न्यायिक समीक्षा का दायरा मान्यता प्राप्त सिद्धांतों से परे नहीं होना चाहिए।अदालतें किसी भी विशिष्ट भाग को शामिल करके ऐसी नीति को संशोधित करने में हस्तक्षेप कर सकती हैं जिसे अनिवार्य बनाया जा सकता है।इस प्रकार का हस्तक्षेप न्यायालय द्वारा विधायी कार्य की धारणा के बराबर नहीं है।वर्तमान मामले में, चूंकि सरकार ने पहले से ही उत्पाद शुल्क नीति में Rs.1000 से अधिक की बिक्री के लिए चालान जारी करने के लिए भाग 2017–18 को शामिल किया था–और जहां बिक्री Rs.1000 से कम है–, मांगने पर चालान जारी किया जाएगा, बिक्री की राशि की परवाह किया बिना जिसमें प्रत्येक लेनदेन के लिए बिल जारी करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, , यह राज्य के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता है।

(18) इस विषय पर मामले के कानून को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले (सुपरा) पर भरोसा करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अदालत विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है और उन लोगों के विवेक को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए जिन्हें नीतियों को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि उसे राज्य की राजकोषीय नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।हालाँकि, जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है कि राज्य या उसकी एजेंसी/साधन और/या इसके कार्यान्वयन द्वारा बनाई गई नीति लोक हित के विपरीत है या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह व्यापक लोक हित में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे और राज्य के क याचिका को अस्वीकार करे कि न्यायिक समीक्षा का दायरा मान्यता प्राप्त मापदंडों से परे नहीं होना चाहिए।जब इस तरह के मामलों को जन–उत्साही नागरिकों द्वारा राज्य के न्यायिक घटक के समक्ष लाया जाता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह व्यापक लोक हित में अपनी शक्ति का प्रयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि संस्थागत अभागता से उन लोगों द्वारा समझौता नहीं किया जाए, जिन पर लोगों ने विश्वास किया है और जिन्होंने भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना संविधान और कानून के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली है और जो किसी भी अन्य नागरिक के रूप में मूल अधिकार का आनंद लेते हैं और साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 51–ए में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।उच्चतम न्यायालय द्वारा दर्ज की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:–

> "99. विद्वान महान्यायवादी और प्रतिवादी के विद्वान महान्यायवादी द्वारा दिए गए अधिकांश निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक समीक्षा की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ काम लिया जाये और न्यायालय को सामान्य तौर पर पर वित्तीय मामलों में सरकार के नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि न्यायालय विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है और उन लोगों के विवेक को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए जिन्हें नीतियों को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि न्यायालय को राज्य की राजकोषीय नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।हालाँकि, जब यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है कि राज्य या उसकी एजेंसी/साधन और/या इसके कार्यान्वयन द्वारा बनाई गई नीति लोक हित के विपरीत है या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह व्यापक लोक हित में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे और राज्य के स्टॉक याचिका को ख़ारिज करे कि न्यायिक समीक्षा का दायरा मान्यता प्राप्त मापदंडों से परे नहीं होना चाहिए।
>
> 100. जब इस तरह के मामलों को जन–उत्साही नागरिकों द्वारा राज्य के न्यायिक घटक के समक्ष लाया जाता है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह व्यापक लोक हित में अपनी शक्ति का प्रयोग करे और यह सुनिश्चित करे कि संस्थागत अपीठता से उन लोगों द्वारा समझौता नहीं किया जाए, जिन पर लोगों ने विश्वास किया है और जिन्होंने भय या पक्षपात, स्नेह या दुर्भावना के बिना संविधान और कानून के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली है और जो किसी भी अन्य नागरिक के रूप में मूल अधिकार का आनंद लेते हैं और साथ ही, अनुच्छेद 51 ए में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इस

संबंध में मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पी. आई. एल. के लिए केंद्र बनाम भारत संघ 5.का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है।

(19) इसी तरह, K.Balu के मामले (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की दुकानों की उपस्थिति का प्रभाव था।मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने न तो नीति तैयार की है और न ही कोई विधायी कार्य ग्रहण किया है।निर्देशों का प्रभाव और तात्यपर्य यह था कि सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के बाहरी किनारे से दूरी या राजमार्ग को 500 मीटर का बनाए रखा जाना था।यह न्यायालय द्वारा विधायी कार्य की धारणा के सामान नहीं था।वास्तव में, राजमार्ग से दुरी बनाये रखने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि राजमार्ग के निकट आउटलेट की उपस्थिति से राजमार्ग पर लाइसेंस देने पर निषेध समाप्त न हो।

प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:–

> "18. महान्यायवादी (तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले) और अन्य विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महान्यायवादी राज्य के उत्पाद शुल्क नियमों पर आधारित एक ही तर्क को अपनाया, के प्रस्तुतिकरण में सार की कमी है।राज्य के उत्पाद शुल्क नियमों में सक्षम करने वाले प्रावधान शामिल हैं।वे शराब लाइसेंस देने के लिए विवेकाधिकार प्रदान करते हैं।किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का निहित अधिकार नहीं है।शराब में व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि संवैधानिक सिद्धांत के रूप में, अनुच्छेद 19 (1) (जी) का विस्तार शराब के व्यापार तक नहीं है जिसे लगातार अतिरिक्त व्यापार माना जाता है।जहां राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया एक उत्पाद शुल्क नियम किसी संस्था या सुविधा से एक निर्दिष्ट दूरी को बनाये रखने का का प्रावधान करता है, तो उसका तत्प्रय यह है कि उस दूरी के भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।राज्य के पास इस बात का विवेकाधिकार है कि उसकी सक्षम करने वाली शक्तियों के तहत लाइसेंस दिया जाना चाहिए या नहीं।कोई भी व्यक्ति राज्य से प्रदत्त शराब विशेषाधिकार के व्यापार लाइसेंस के अनुदान के अधिकार का दावा नहीं कर सकता| शराब का व्यापार राज्य द्वारा प्रदत्त एक विशेषाधिकार है।इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश निषेध की प्रकृति में किसी भी मानदंड का उलंघन नहीं करते हैं और न ही वे कानून द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध को हटाने के लिए काम करते हैं।निर्देशों का प्रभाव और उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्गों के बाहरी किनारे या राजमार्ग के साथ एक सर्विस लेन से दूरी 500 मीटर बनाए रखी जानी चाहिए।यह न्यायालय द्वारा विधायी कार्य की धारणा के बराबर नहीं है।वास्तव में राजमार्ग से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता (जो वकील के प्रस्तुतिकरण के अनुसार भी बड़ी संख्या में राज्यों में अपनाई जाती है) यह सुनिश्चित करती है कि राजमार्ग के निकट आउटलेट की उपस्थिति से राजमार्ग के साथ लाइसेंस देने पर निषेध विफल न हो।एक पर्याप्त बफर का रखरखाव सिद्धांत की एक आवश्यक घटना है, जिसका उदेश्य राजमार्ग पर शराब की तत्काल उपलब्दता को रोकना है ।किसी भी मामले में, किसी भी निजी व्यक्ति को 500 मीटर के निर्धारण की शिकायत करते हुए नहीं सुना जा सकता है जो कि स्पष्ट रूप से जनहित मै हो|

(20) सभी निष्पक्षता में, अब हम प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का उल्लेख करते हैं।एम. पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन के मामले (सुपरा) में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य के प्रशासन के लिए एक नीति तैयार करने के लिए राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण को उसकी क्षमता के भीतर माना जाना चाहिए।जब तक बनाई गई नीति आत्यन्तिक रूप से मनमौजी नहीं है और किसी भी कारण से सूचित नहीं की जाती है, तब तक इसे स्पष्ट रूप से मनमाना माना जा सकता है और यह कार्यकारी अधिकारियों के केवल एक निर्देश पर आधारित है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है या ऐसी नीति जो अन्य संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है या किसी भी वैधानिक प्रावधान के साथ टकराव में आती है, अदालत अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकती और उसे राज्य के कार्यकारी अधिकारी के नीतिगत निर्णय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।नीतिगत निर्णय राज्य के कार्यकारी

प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालय को सार्वजनिक नीति के अज्ञात महासागर में नहीं बोलना चाहिए और ऐसी नीति की प्रभावकारिता या अन्यथा पर तब तक सवाल नहीं उठाना चाहिए जब तक कि यह अधिनियम या भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

(21) दिल्ली बार एसोसिएशन के मामले (उपरोक्त) में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को नौ जिलों में विभाजित करने के लिए जारी की गई अधिसूचनादिनांक 28.06.2000 को लेकर थी ।बढ़ते मुकदमेबाजी के दबाव से निपटने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया था।न्यायिक जिलों के निर्माण के लिए उच्चतम न्यायालय से एक निर्देश भी आया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को तब तक दोष नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह अनुचितता, मनमानेपन या अन्याय से ग्रस्त न हो या यह विधायी शक्तियों से ऊपर न हो।

(22) उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव असाधारण हैं।हालाँकि, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है, यह मुद्दा उक्त निर्णयों द्वारा कवर और नियंत्रित नहीं है।

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम, यहाँ पहले चर्चा किए गए विभिन्न कारणों के लिए, यह उचित मानते हैं कि हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारें शराब विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य बनाती हैं कि वे वर्ष 2018–19 के बाद से अपने विक्रेताओं से उनके द्वारा की गई सभी बिक्री के लिए चालान जारी करें।तदनुसार आदेश दिया।नतीजतन, रिट याचिका स्वीकार की जाती है |

पायल मेहता

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

राजेश कपूर
2F16YW
ट्रांसलेटर